वेबसाईट : www.epfindia.gov.in
ई–मेल : ro.jaipur@epfindia.gov.in

दूरभाष : 0141-2740882
फैक्स : 0141-2740299

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, निधि भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
Regional Office, Nidhi Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

No/RJ/JPR/ADM-III/

दिनांक : 27.04.2017

<u>ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" उपलब्ध करवाने हेतु निविदा आमंत्रण</u>

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन प्रशासनिक नियंत्रित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, ज्योति नगर, जयपुर–302005 में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निम्नानुसार मेनपावर की आवश्यकता है:–

क्र.सं.	सेवा का प्रकार	वाछित डीईओ की संख्या	स्थान
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर(निपुण)	05	ज्योति नगर, जयपुर

मेनपावर प्रदाता/आऊटसोर्सिंग एजेन्सियों से उक्त मेनपावर उपलब्ध करवाने हेतु संलग्न प्रोफार्मा में सीलबंद निविदायें आमत्रित की जाती है। यह आवश्यक है कि उक्त सीलबंद निविदायें एजेन्सी के अधिकृत लेटर हेड पर हो। सीलबंद निविदायें **18.05.2017 को अपराह्न 1:00 बजे तक** या उससे पहले निविदा बॉक्स में डाली जानी चाहिए और लिफाफे पर **"डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (निपुण) उपलब्ध करवाने हेतु निविदा"** लिखा होना चाहिए। टेक्निकल निविदा एवं फाइनेंशियल निविदा हेतु प्रथक लिफाफे प्रयोग किए जाएं।

कृप्या निम्न का ध्यान रखें –

1. एजेन्सी सभी श्रम कानून एवं संबंधित कानूनों का पालन किये जाने, जिसमें ईपीएफ एवं एमपी एक्ट, 1952, ईएसआई एक्ट एवं न्यूनतम वेतन एक्ट, 1948 की संलग्न हैं, को प्रतिबद्ध रहेगी।
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय रू.20000/– की राशि घरोहर राशि के रूप में जमा की जानी आवश्यक है। मेनपावर उपलब्ध करवाने हेतु असक्षम रहने वाली एजेन्सियों की धरोहर राशि वापस लौटाई जाएगी।
3. ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (निपुण) उपलब्ध करवाने हेतु नियम एवं शर्तें "**अनुलग्क–ए** में संलग्न हैं।
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को मेनपावर (डीईओ निपुण) उपलब्ध करवाने हेतु टेंडर प्रपत्र **"अनुलग्नक–B" तथा "अनुलग्नक–C"** में मय अंडरटेकिंग **"अनुलग्नक–D"** के भरा जाना है। बिना सीलबंद लिफाफे के प्रस्तुत टेंडर एवं जिनके लिफाफे पर उक्त विवरण नहीं लिखा होगा, वे टेंडर अस्वीकार्य होंगे।